REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2900]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938		
No. 2900]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938		

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3688(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूपी स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग संख्या	
(1)	(2)	(3)
351	516डी	आंध्र प्रदेश राज्य में देवरापल्ली बाइपास के निकट रारा-16 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गोल्लागुडेम, गोपालपुरम, जगन्नाथपुरम, अतच्युतापुरम, कोय्यलागुडेम, बय्यनागुडेम, सीतमपेट्टा, नरसन्नापलेम, जंगारेड्डीगुडेम, वेगावरम, ताडूवई, दरभागुडेम को जोड़ने वाला और आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा के निकट जीलूगुमिल्ली पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

<u>तालिका</u>

[फा. सं. एनएच-14012/20/2016-पी एण्ड एम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड बी)

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1304(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2016 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

**S.O. 3688(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the Highways specified in the column (3) of the Table below to be a National Highways, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The Highways, now declared to be National Highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new National Highways numbers and the description of the National Highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

Sl. No.	New	Description of National Highways
	National	
	Highways	
	No.	
(1)	(2)	(3)
351	516D	The highway starting from its junction with NH 16 near Deverapalli Bypass connecting Golladgudem, Gopalapuram, Jaganathapuram, Atchyutapuram, Koyyalgudem, Bayyanagudem, Seetampeta, Narasannapalem, Jangareddigudam, Vegavaram, Taduvai, Darbhagudem in the State of Andhra Pradesh and terminating at Jeelugumilli near Andhra Pradesh/Telengana border.

TABLE

[F. No. NH-14012/20/2016-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1304 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2016.